

परिपत्र संख्या-56/30/2018- जीएसटी

फाइल संख्या 354/290/2018-टीआरयू

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

कर अनुसंधान एकक

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक 24 अगस्त, 2018

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केन्द्रीय कर (सभी)/प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सभी)

महोदया/महोदय,

विषय: फैब्रिक्स पर संचित आईटीसी के रिफंड पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने के बारे में स्पष्टीकरण की बाबत -

31 जुलाई, 2018 तक के फैब्रिक्स की इन्वर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट के व्यपगत होने के प्रावधान से संबंधित अधिसूचना संख्या 20/2018-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018 (जिसका उद्देश्य अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28.06.2017 में संशोधन किया जाना था) की प्रयोज्यता और इसके उद्देश्य के बारे में कुछ संदेह किए गए हैं।

2. उक्त अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर) को केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी एक्ट, 2017) की धारा 54 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था। इसमें उन मदों को अधिसूचित किया गया है जिन पर इन्वर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित होने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड की अनुमति नहीं है। इस अधिसूचना के अंतर्गत अधिसूचित कुछ मद फैब्रिक्स हैं। इस अधिसूचना में फैब्रिक्स की 10 श्रेणियां आती हैं, यथा ;

क्रम संख्या	टैरिफ मद, शीर्ष, उप शीर्ष या अध्याय	वस्तु का विवरण
-------------	-------------------------------------	----------------

(1)	(2)	(3)
1.	5007	सिल्क या सिल्क वेस्ट के बुने हुए फैब्रिक्स
2.	5111 to 5113	ऊन या जानवरों के बाल के बुने हुए फैब्रिक्स
3.	5208 to 5212	सूती बुने हुए फैब्रिक्स
4.	5309 to 5311	अन्य प्रकार के वानस्पतिक, टैक्सटाईल्स फाइबर्स, पेपर यार्न के बुने हुए फैब्रिक्स
5.	5407, 5408	मानव निर्मित टैक्सटाईल्स सामग्री के बुने हुए फैब्रिक्स
6.	5512 to 5516	मानव निर्मित स्टैपल फाइबर्स के बुने हुए फैब्रिक्स
6क#	5608	नाटेड नेटिंग ऑफ ट्वाइन, कोर्डेज, या रोप; तैयार की गई फिशिंग नेट्स या अन्य प्रकार की नेट्स, जो कि टैक्सटाईल सामग्री से बनी हो
6ख*	5801	कोरडूराय फैब्रिक्स
6ग#	5806	नैरो वूवेन फैब्रिक्स, उनसे भिन्न जो शीर्ष 5807 में आते हैं; वार्प से बने नैरो फैब्रिक्स, जिसमें वेफ्ट न हो, जो कि एडेसिव से जोड़े गए हो;
7.	60	निटिड या क्रोचिटेड फैब्रिक्स [सभी वस्तुएं]

*सितम्बर 17 में जोड़ा गया, # नवम्बर 17 में जोड़ा गया ।

3. जीएसटी परिषद की 28वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि फैब्रिक्स पर इन्वर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित हो गए आईटीसी के रिफंड को न अनुमति देने का जो प्रतिबंध है उसको इस अधिसूचना के जारी होने के बाद प्राप्त होने वाले इनपुट आपूर्तियों पर से भविष्यलक्षी प्रभाव से हटा लिया जाएगा । साथ में यह भी निर्णय लिया गया था कि जुलाई, 2018 के महीने के जीएसटी के भुगतान के पश्चात विगत में बिना प्रयोग किए पड़े आईटीसी को व्यपगत मान लिया जाएगा । तदनुसार इस निर्णय को लागू करने के लिए अधिसूचना संख्या 20/2018-केन्द्रीय कर (दर) को जारी करके अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर) में संशोधन कर दिया गया है । गणना को सरल करने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि इन परिवर्तनों को 01 अगस्त, 2018 से लागू किया जाएगा ।

4. अधिसूचना संख्या 20/2018-केन्द्रीय कर (दर), के द्वारा अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर) में निम्नलिखित परन्तुक को जोड़ा गया है :-

“बशर्ते कि,-

इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात नीचे दी गई सारणी के क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6क, 6ख, 6ग और 7 में उल्लिखित वस्तुओं के मामले में 01 अगस्त, 2018 को या उसके बाद से प्राप्त आपूर्ति पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लागू नहीं होगी; और

उक्त वस्तुओं के मामले में, माह जुलाई, 2018 के और इस माह तक के कर के भुगतान किए जाने के पश्चात 31 जुलाई, 2018 तक अंतःवर्ती आपूर्ति पर प्राप्त संचित इनपुट क्रेडिट, जो कि बिना उपयोग किए गए पड़ी हो, व्यपगत हो जाएगी।”

5. अधिसूचना संख्या 20/2018-केन्द्रीय कर (दर) के द्वारा किए गए परिवर्तन के संबंध में जो संदेह पैदा किए गए हैं वे इस प्रकार हैं:

- (1) क्या यह अधिसूचना यह कहती है कि माह जुलाई, 2018 तक के कर का भुगतान करने के पश्चात सब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो बिना उपयोग किए बचा हैं, वे व्यपगत हो जाएंगे?
- (2) क्या सेवाओं और पूंजीगत माल से संबंधित अनप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी अनुमति नहीं मिलेगी?
- (3) इनका सूती और सिल्क जैसे फैब्रिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिनके बारे में इन्वर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर लागू नहीं होता है?
- (4) क्या निर्यात से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट भी व्यपगत हो जाएंगे?

6. इस मामले की जांच-परख की गई है। सीजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 54 में यह प्रावधान है कि इन्वर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर अर्थात् इनपुट्स पर जीएसटी की दर पूर्णतया निर्मित वस्तुओं पर लगे जीएसटी की दरों से अधिक हो तो इस प्रकार इनपुट्स पर संचित क्रेडिट के रिफंड का प्रावधान किया गया है। हालांकि, धारा 54 (3) का परंतुक (ii), प्रदान करता है कि अधिसूचित वस्तुओं के संबंध में, इस तरह के संचित इनपुट कर क्रेडिट की वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिसूचना संख्या 5/ 2017- केन्द्रीय कर (दर) को इस प्रावधान के अनुसार ही जारी किया गया है और इसमें अन्य बातों के अलावा यह विनिर्दिष्ट है कि इन्वर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित हुए आईटीसी के रिफंड की अनुमति पैरा 2 में उल्लिखित फैब्रिक्स के बारे में लागू नहीं होगी। अतः अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28/6/2017 के तहत संचित आईटीसी के रिफंड का प्रतिबंध केवल इनपुट पर संचित हुए आईटीसी के रिफंड के मामले में ही लागू होगा। इस अधिसूचना के कारण

इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल के इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में कोई भी प्रतिबंध नहीं लगता है ।

7. इस परन्तुक को अधिसूचना के मुख्य भाग के साथ पढ़ा जाना है । इस संशोधित अधिसूचना को पूरी तरह से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस परन्तुक का उद्देश्य केवल ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट के व्यपगत करने का है जो कि प्रधान अधिसूचना के मुख्य विषय हैं अर्थात् उक्त फैब्रिक्स से संबंधित इन्वर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित हुई इनपुट्स टैक्स क्रेडिट । उक्त परन्तुक के उपवाक्य (ii) का शुद्ध-शुद्ध प्रभाव यह है कि यह 31 जुलाई, 2018 से पहले की अवधि के लिए, अधिनियम की धारा 54 के अनुसार रिफंड किए जाने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट को व्यपगत करने के लिए प्रदान करता है, लेकिन उक्त अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर) के द्वारा ऐसा प्रतिबंध लागू न किया गया होता तो और वह भी जुलाई, 2018 तक किए गए जीएसटी के भुगतान के बाद उपयोग में न लाए गए संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट की सीमा तक । दूसरे शब्दों में इस संशोधित अधिसूचना के अनुसार माह जुलाई के जीएसटी के भुगतान करने के पश्चात (31 जुलाई, 2018 को या उसके पहले की गई खरीद पर) इन्वर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित होने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट जिनका की उपयोग न किया गया हो, व्यपगत हो जाएंगे ।

8. चूंकि अधिसूचना संख्या 5/2017- केन्द्रीय कर (दर) इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल के इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है । अतः अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर) में अधिसूचना संख्या 20/2018 के द्वारा जोड़े गए इस परन्तुक का कोई प्रभाव इनपुट्स सेवाओं और पूंजीगत माल पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट पर नहीं पड़ेगा ।

9. जहां तक इनपुट टैक्स क्रेडिट को व्यपगत करने से संबंधित विधायी शक्ति की बात है तो यह इन्वर्टेड स्ट्रक्चर के कारण संचित होने वाले इनपुट्स टैक्स क्रेडिट के रिफंड को इंकार किए जाने की शक्ति से स्वतः ही प्राप्त होती है ।

10. संदेह तो उक्त फैब्रिक के इनपुट्स पर लागू इन्वर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित होने वाले इनपुट्स टैक्स क्रेडिट की राशि की गणना के तरीके को लेकर भी व्यक्त किए गए हैं कि ये तो उपर्युक्त परिवर्तन के कारण व्यपगत हो जाएंगे । इस बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी राशि की गणना करने के लिए सीजीएसटी रूल्स के नियम 89 (5) में निर्धारित सूत्र को यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू किया जाएगा क्योंकि ये इन्वर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर के रिफंड किए जाने वाली राशि के निर्धारण करने में भी लागू होता है । यह राशि माह जुलाई, 2017 से लेकर जुलाई, 2018 तक के लिए निर्धारित की जाएगी {या ऐसी

फैब्रिक्स की संगत अवधि के लिए लागू होगी जिन पर रिफंड को अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर) में इस प्रविष्टि को शामिल करने के पश्चात रोक दिया गया था} लागू की जाएगी। प्रत्येक आपूर्तिकर्ता द्वारा इस सूत्र का प्रयोग करके निर्धारित की गई संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका की माह जुलाई, 2018 के जीएसटी का भुगतान किए जाने के बाद प्रयोग नहीं हुआ हो, व्यपगत हो जाएगी।

दृष्टांत:

(1) यदि कोई भी निर्माता जो कि केवल मानव निर्मित फाइबर फैब्रिक्स का उत्पादन करता है और उसकी जुलाई, 2017 से जुलाई, 2018 तक की अवधि [या ऐसे फैब्रिक्स की उस सुसंगत अवधि जिन पर रिफंड को अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर) में इस प्रविष्टि को बाद में जोड़कर रोक दिया गया था] में कुल कारोबार 5 करोड़ रुपए का है। इस पर 5% की दर से देय कर 25 लाख रुपए होता है। यह मानते हुए कि इस अवधि के दौरान इनपुट्स पर ली गई निवल इनपुट टैक्स क्रेडिट 30 लाख रुपए थी। नियम 89 (5) में निर्धारित सूत्र का प्रयोग करते हुए इन्वर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट 5 लाख रुपए होती है। दूसरे शब्दों में, इस निर्माता ने उस अवधि के दौरान इन्वर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर के कारण इनपुट पर 5 लाख रुपए जमा किए हैं। यदि उनके अप्रयुक्त आईटीसी बैलेंस इस राशि से अधिक है, उदाहरण के लिए 10 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए के बराबर आईटीसी ही व्यपगत होगा। हालांकि, अगर किसी भी कारण से, अप्रयुक्त आईटीसी बैलेंस है, 5 लाख रुपए से कम है, उदाहरण के लिए 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए के बराबर आईटीसी ही व्यपगत होगा।

(2) कोई भी निर्माता जो कि, मान लीजिए कि ग्रे मैन मेड फायर फैब्रिक्स और कॉटन फैब्रिक्स का भी निर्माण करता है और माह जुलाई, 2017 से जुलाई, 2018 [या उस फैब्रिक्स की संगत अवधि के लिए जिस पर इस रिफंड को अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर) में इस प्रविष्टि को जोड़े जाने के बाद रोक दिया गया था] में कुल कारोबार मैन मेड फैब्रिक्स का 5 करोड़ रुपए और कॉटन फैब्रिक्स का 2 करोड़ रुपए होता है। मैन मेड फायर फैब्रिक्स पर देय कर 25 लाख रुपए और कॉटन फैब्रिक्स पर देय कर 10 लाख रुपए होता है। मैन मेड फैब्रिक्स पर इन्वर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर लागू होता है जबकि कॉटन फैब्रिक्स पर इन्वर्टेड इयूटी फैब्रिक्स लागू नहीं होता है। यह मानते हुए कि इस अवधि में इनपुट्स पर प्राप्त किया गया निवल इनपुट टैक्स क्रेडिट 35 लाख रुपए है, अर्थात्,

= {(माल की इन्वर्टेड रेटेड आपूर्ति का कारोबार ÷ समायोजित कुल कारोबार)
x निवल इनपुट टैक्स क्रेडिट } - माल की ऐसी इन्वर्टेड रेटेड आपूर्ति पर
देय कर

इन्वर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित होने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट शून्य हो जाएगा (5/7*35-25) इस प्रकार कोई भी राशि व्यपगत नहीं होगी। हालांकि इस मामले में यह मानते हुए कि इनपुट्स पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट 42 लाख रुपए है इन्वर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर पर संगणित संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट 5 लाख रुपए होगी। (5/7*42-25)

नियम 89 (5) में प्रदान की गई गणना के तरीके को यथावश्यक परिवर्तनों के साथ किया जाएगा।

10.1 जैसा कि दृष्टांत में बताया गया है नियम 89 (5) में निर्धारित सूत्र से यह सुनिश्चित हो जाता है कि पूंजीगत माल और इनपुट सेवाओं से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यपगत नहीं होगी।

11. हालांकि, किसी विनिर्माता के पास 31.7.2018 को भी पूर्णतया निर्मित वस्तुओं का क्लोजिंग स्टॉक और इनपुट्स हो सकता है। अब एक संदेह यह भी पैदा हुआ है कि क्या इससे भी संबंधित इनपुट टैक्स भी व्यपगत हो जाएगा और इस बात की भी चिंता व्यक्त की गई है कि क्या इससे दोहरा कर नहीं लागू हो जाएगा। इस बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्तावित संशोधन में केवल ऐसे क्रेडिट को व्यपगत होने की बात है जो कि इन्वर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित हुआ हो। इसलिए यदि कोई भी विनिर्माता जिसका संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट उक्त अधिसूचना के कारण व्यपगत हो सकता है, के पास 31.07.2018 को कोई स्टॉक बचा रहता है तो ऐसे स्टॉक में निहित इनपुट्स (ऐसे पड़े इनपुट्स समेत) का इनपुट टैक्स क्रेडिट को उक्त सूत्र को लागू किए जाने के लिए निर्धारित निवल इनपुट टैक्स क्रेडिट से बाहर रखा जाएगा। इस उद्देश्य के लिए इस स्टॉक में निहित इनपुट्स के इनपुट टैक्स क्रेडिट का निर्धारण उस तरीके से किया जाएगा जैसा कि फार्म GST ITC-01 के क्रम संख्या 7 में दिया गया है।

12. जहां तक उक्त परन्तुक का सूती, सिल्क या अन्य नैचुरल फाइबर फैब्रिक्स, जिन पर इन्वर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर लागू नहीं होता है, के बारे में लागू होने की बात है तो इस बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि आईटीसी के व्यपगत होने की उक्त शर्त तभी लागू होगी जब इनपुट्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित हुई हो। उपर्युक्त सूत्र में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है।

13. जहां तक निर्यात से संबंधित संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात है तो निर्यात पर ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड का निर्धारण अलग से नियम 89 (4) के अंतर्गत किया जाता है। जैसा कि नियम 89 (5), में विनिर्दिष्ट है इस सूत्र के लागू किए जाने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक्सपोर्ट पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यपगत नहीं होगा क्योंकि जीरो रेटेड आपूर्ति को इस सूत्र से बाहर रखा गया है। इसके अलावा अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर) जीरो रेटेड आपूर्ति पर रिफंड पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है जैसा कि सीजीएसटी परिपत्र संख्या 18/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। अतः यह परन्तुक जीरो रेटेड आपूर्तियों से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लागू नहीं होता है। तदनुसार जीरो रेटेड आपूर्ति पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यपगत नहीं होगा। यह बात इस सूत्र के लागू किए जाने से सुनिश्चित हो जाती है।

14. संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट को व्यपगत करने में पालन की जाने वाली प्रक्रिया; कोई भी करदाता व्यक्ति जिसका कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इस अधिसूचना के कारण व्यपगत हो सकता है, अपने ऐसे संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि की गणना ऊपर स्पष्ट किए गए तरीके से करेगा। यह राशि, स्वतः आंकलन करने के बाद, अगस्त, 2018 के महीने के जीएसटीआर 3बी रिटर्न में ऐसे व्यक्ति द्वारा भरी जाएगी। यह राशि रिटर्न के कॉलम 4बी (2) में भरी जाएगी [इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि जिसको कि किसी अन्य कारण से वापस किया जाना है]। इस प्रकार व्यपगत हुई संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि का सत्यापन ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले रिफंड (फैब्रिक्स पर इन्वर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर के कारण) को भरे जाने के समय सत्यापित की जाएगी। अतः व्यपगत हुए संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक विस्तृत गणना पत्र ऐसे करदाता व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाएगा और वह उसे इन्वर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर के कारण किए जा रहे अपने पहले रिफंड के दावे के समय प्रस्तुत करेगा।

15. इस परिपत्र के लागू होने में यदि कोई परेशानी आती है तो उसे बोर्ड की जानकारी में लाया जा सकता है।

भवदीय,

राहिल गुप्ता

(राहिल गुप्ता)

तकनीकी अधिकारी (टीआरयू)

F. No. 354/290/2018-TRU

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Tax Research Unit

**North Block, New Delhi
24th August, 2018**

To,

**The Principal Chief Commissioners/Chief Commissioners/
Principal Commissioners/ Commissioner of Central Tax (All) /
The Principal Director Generals/ Director Generals (All)**

Madam/Sir,

Subject: Clarification regarding removal of restriction of refund of accumulated ITC on fabrics - reg.

Certain doubts have been raised regarding the applicability and intent of notification No. 20/2018-Central Tax (Rate) dated 26th July, 2018 (which seeks to amend notification No. 5/2017-Central Tax (Rate) dated 28.06.2017) relating to the provision for lapsing of input tax credit accumulated on account of inverted duty structure on fabrics for the period upto the 31st July, 2018.

2. The said notification No. 5/2017-Central Tax (Rate) was issued in exercise of powers vested under section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017(CGST Act, 2017). It notifies the items on which refund of accumulated input tax credit on account of inverted duty structure is not allowed. Some of the items notified under this notification are fabrics. A total 10 categories of fabrics covered in the notification are as follows:

S. No.	Tariff item, heading, sub-heading or Chapter	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	5007	Woven fabrics of silk or of silk waste

2.	5111 to 5113	Woven fabrics of wool or of animal hair
3.	5208 to 5212	Woven fabrics of cotton
4.	5309 to 5311	Woven fabrics of other vegetable textile fibres, paper yarn
5.	5407, 5408	Woven fabrics of manmade textile materials
6.	5512 to 5516	Woven fabrics of manmade staple fibres
6A#	5608	Knotted netting of twine, cordage or rope; made up fishing nets and other made up nets, of textile materials
6B*	5801	Corduroy fabrics
6C#	5806	Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive
7.	60	Knitted or crocheted fabrics [All goods]

*Inserted in the month of Sep 17, # Inserted in the month of Nov 17.

3. In the 28th GST Council meeting, it was decided to remove the restriction of not allowing refund of ITC accumulated on account of inverted duty structure on fabrics with prospective effect on the input supplies received after the date of issue of notification. It was also decided to simultaneously lapse the accumulated ITC, lying unutilised, for the past period, after the payment of GST for the month of July, 2018. Accordingly, to give effect to this decision, the notification No. 20/2018-Central Tax (Rate) has been issued amending notification No. 5/2017-Central Tax(Rate). To keep the accounting simple, it was decided to make these changes effective from the 1st day of August, 2018.

4. Vide the said notification No. 20/2018-Central Tax (Rate), the following proviso has been inserted in notification No. 5/2017-Central Tax (Rate).

“Provided that,-

- (i) nothing contained in this notification shall apply to the input tax credit accumulated on supplies received on or after the 1st day of August, 2018, in respect of goods mentioned at serial numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C and 7 of the Table below; and*
- (ii) in respect of said goods, the accumulated input tax credit lying unutilised in balance, after payment of tax for and upto the month of July, 2018, on the inward supplies received up to the 31st day of July 2018, shall lapse.”.*

5. The doubts raised, with reference to changes made vide notification No. 20/2018-Central Tax (Rate) are as follows:

- (1) Whether this notification seeks to lapse all the input tax credit lying unutilised after payment of tax upto the month of July, 2018?
- (2) Whether unutilised ITC in respect of services and capital goods shall also be disallowed?
- (3) Implication to fabrics like cotton and silk where there was no inverted duty structure?
- (4) Whether accumulated ITC in respect of exports shall also be made to lapse?

6. The matter has been examined. Section 54 of the CGST Act, 2017 provides for refund of accumulated credit on inputs on account of inverted duty structure, i.e., GST rate on inputs being higher than the GST rates on finished goods. However, proviso (ii) to section 54 (3) provides that in respect of notified goods, the refund of such accumulated input tax credit shall not be allowed. Notification No. 5/2017-Central Tax (Rate) has been issued in terms of this provision and it *interalia* prescribes that refund of accumulated ITC on account of inverted duty structure shall not be allowed in respect of fabrics as mentioned in para 2. Therefore, the restriction of refund of accumulated ITC under notification No. 5/2017-Central Tax (rate) dated 28.06.2017 is applicable only in respect of refund of accumulated ITC on inputs. This notification does not put any restriction in relation to the ITC on input services and capital goods.

7. The proviso has to be read with the principal part of the notification. A comprehensive reading of amended notification makes it clear that the proviso seeks to lapse only such input tax credit which is the subject matter of principal notification, i.e. accumulated credit on account of inverted duty structure in respect of stated fabrics. The net effect of clause (ii) in the said proviso is that it provides for lapsing of input tax credit that would have been refundable in terms of section 54 of the Act, for the period prior to the 31st July, 2018, but for the restriction imposed vide said notification No. 5/2017-Central Tax (Rate) and that too to the extent of accumulated ITC lying unutilised after making payment of GST upto the month of July, 2018. In other words, in terms of amended notification, the input

tax credit on account of inverted duty structure lying in balance after payment of GST for the month of July (on purchases made on or before the 31st July, 2018) shall lapse.

8 As the notification No. 5/2017-Central Tax (Rate) does not put any restriction in respect of ITC on input services and capital goods, therefore the proviso now inserted in the said notification No. 5/2017-Central Tax (Rate) vide notification No. 20/2018 does not affect the ITC availed on input services and capital goods.

9. As regards, the legislative power of providing for lapsing of input tax credit, the same flows inherently from the power to deny refund of accumulated ITC on account of inverted structure.

10. Doubts have also been raised as regards the manner of calculating the ITC amount accumulated on account of inverted duty structure on the inputs of said fabrics that would lapse on account of above stated change. It is clarified that for determination of such amount, the formula as prescribed in rule 89 (5) of the CGST rules shall *mutatis mutandis* apply as it applies for determination of refundable amount for inverted duty structure. Such amount shall be determined for the months from July, 2017 to July 2018 [or for the relevant period for such fabrics on which refund was blocked subsequently by inserting entries in notification No. 5/2017-Central Tax (Rate)]. The accumulated input tax credit determined by each supplier using the prescribed formula lying unutilised in balance after making the payment of GST for the month of July, 2018 shall lapse.

Illustrations:

(1) A manufacture who produces only manmade fibre fabrics, had a turnover of Rs 5 crore for the period from July, 2017 to July 2018[or for the relevant period for fabrics on which refund was blocked subsequently by inserting entries in notification No. 5/2017-Central Tax (Rate)]. Tax payable thereon is Rs 25 lakh (@ 5%). Assuming the net ITC availed on inputs, during this period, was Rs 30 lakh. Applying the formula prescribed in rule 89 (5), the accumulated ITC on account of inverted duty structure comes to Rs 5 lakh. In other words, this manufacturer has accumulated Rs 5 lakh on inputs on account of inverted duty structure during the said period. If ITC balance lying unutilized with him is more than this amount, say Rs 10 lakh, the ITC equal to Rs 5 lakh will only lapse. However, if for any reason, the ITC balance

lying unutilized is less than Rs 5 lakh, say Rs 3 lakh, the ITC equal to Rs 3 lakh will lapse.

- (2) A manufacture who produces, say, grey manmade fibre fabrics and cotton fabrics, had a turnover of Rs 5 crore and 2 crore respectively for manmade fabrics and cotton fabrics for the months from July, 2017 to July 2018[or for the relevant period for fabrics on which refund was blocked subsequently by inserting entries in notification No. 5/2017-Central Tax (Rate)]. Tax payable thereon is Rs 25 lakh on MMF fabrics and Rs 10 lakh on cotton fabrics. MMF fabric has inverted duty structure while cotton fabric does not have inverted duty structure. Assuming the net ITC availed on inputs, during this period, was Rs 35 lakh, ie,

$$= \{(\text{Turnover of inverted rated supply of goods} \div \text{Adjusted Total Turnover}) \times \text{Net ITC}\} - \text{tax payable on such inverted rated supply of goods}$$

The accumulated ITC on account of inverted duty structure shall be equal to nil $(5/7 \times 35 - 25)$. Thus no amount shall lapse. However, assuming that in this case the ITC availed on input is Rs 42 lakh, the accumulated ITC on accounted on inverted duty structure is Rs 5 lakh $(5/7 \times 42 - 25)$

The manner of calculation as provided in rule 89(5) would mutatis mutandis apply.

10.1 As illustrated, the application of formula prescribed in rule 89(5) ensures that ITC relating to capital goods and input services does not lapse.

11. However, a manufacturer may have closing stock of finished goods and inputs as on 31.7.2018. A doubt has been raised as to whether input tax relating thereto shall also lapse and concern has been expressed that this would amount to double taxation. It is clarified that the proposed amendment seeks to lapse only such credit that has been accumulated on inputs on account of inverted duty structure. Therefore, in case a manufacturer, whose accumulated ITC is liable to lapse in terms of said notification, has certain stock lying in balance as on 31.7.2018, the input tax credit involved in inputs contained in such stock (including inputs lying as such) may be excluded for determination of Net ITC for the purposes of applying the said formula. For this purpose, the ITC relating to inputs contained in stock may be determined in the manner as provided in S. No. 7 of Form GST ITC-01.

12. As regards the applicability of said proviso to cotton, silk and other natural fibre fabrics, which do not suffer inverted duty structure, this is clarified that the said condition of lapsing of ITC would apply only if input tax credit on inputs has been accumulated on account of inverted duty structure. The aforesaid formula takes care of this aspect.

13. As regards accumulated ITC in relation to exports, the refund of such ITC on exports is separately determined under rule 89 (4). Application of formula, as prescribed in rule 89(5), ensures that accumulated ITC on exports does not lapse as this formula excludes zero rated supplies. Further notification No. 5/2017-Central Tax(Rate) does not impose any restriction of refunds on zero rated supplies as was also clarified vide CGST circular no. 18/2017-Central Tax dated 16th November, 2017. Hence the proviso has no applicability to the input tax credit relating to zero rated supplies. Accordingly, accumulated ITC on zero rated supplies shall not lapse. This is ensured by application of formula.

14. **The procedure to be followed for lapsing of accumulated input tax credit:** A taxable person, whose input tax credit is liable to be lapsed in terms of said notification, shall calculate the amount of such accumulated ITC, in the manner as clarified above. This amount shall, upon self-assessment, be furnished by such person in his GSTR 3B return for the month of August, 2018. The amount shall be furnished in column 4B (2) of the return [ITC amount to be reversed for any reason (others)]. Verification of accumulated ITC amount so lapsed may be done at the time of filing of first refund (on account of inverted duty structure on fabrics) by such person. Therefore, a detailed calculation sheet in respect of accumulated ITC lapsed shall be prepared by the taxable person and furnished at the time of filing of first refund claim on account of inverted duty structure.

15. Difficulty, if any, in the implementation of this circular should be brought to the notice of the Board.

Yours faithfully,


Rahil Gupta

Technical Officer (TRU)
Email: rahil.gupta@gov.in